फर्द अहकाम

गोगराज वगै0 बनाम कौशल्या वगै0

न्यायालय का नाम–उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक

केस सं0 58/22

क्र0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	07.06.2022	वकील श्री प्रेमचन्द भड़ड़ा ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्तें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थीगण को एकपक्षीय सुना गया। बहस शपथ पत्र और प्रा0पत्र में वर्णित कथन वकील प्रार्थीगण से संतुष्ट होकर अप्रार्थी सं0 1 लगा0 7 के विरूद्व अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक इस अमर की जारी कि जाती है कि विवादग्रस्त आराजी ख0नं0 390 वाके ग्राम बस्सीनागा तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0 में प्रार्थीगण के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हक हिस्सें की सीमा तक की भूमि में कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत उत्पन्न नहीं करे ओर ना ही किसी अन्य से करांवे। प्रार्थीगण के ख0नं0 390 के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हक हिस्सें की सीमा की भूमि की सींवमेड़ को बिना विधिक सीमाज्ञान करवाये तोड़े नहीं, कोई नवीन अविधिक निर्माण ना करे। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे। पक्षकारान 1 माह के भीतर तहसीलदार जोबनेर से अपना सीमाज्ञान करवाये। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस होकर पत्रावली दिनांक 29.07.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी साँभर लेक	
	29/7/22	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 4.10.22 को पेश हो। अप्रार्थीगण को पुनः रजि० A/D तलबी हेतु अवसर दिया गया।	
	4-10-22	अनुपस्थित पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 21-11-22 को पेश हो। श्रीमान जिला कलक्टर महो. जयपुर के आदेशानुसार मूल पत्रावली नव सृजित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर को प्रेषित की / जानी है।	
	21.11.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 30/01/23 को पेश हो।	

[illegible]/23 — पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु समन तामील होकर पेश होने का ... Reg. AD. जारी होने हेतु न्यायहित में ... तलबाना दिया जावे। पत्रावली दिनांक 7/3/23 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

7/3/23 — पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ ने कार्य स्थगित रखा है। अत: पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 12/4/23 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

12/4/23 — पत्रावली पेश हुई सरकार पैरोकार उप०। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। पूर्वादेशिका दिनांक 30/1/23 की पालना बाबत। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता आज अनुपस्थित होने के कारण मूल वाद आदेश 9 नियम 3 C.P.C. के तहत खारिज किया जा चुका है।

अत: वादीगण/प्रार्थीगण का मूल वाद खारिज किए जाने के कारण यह प्रार्थना पत्र भी आदेश 9 नियम 3 C.P.C. के तहत खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
12/4/2023